Result Mitra
दैनिक जागरण
The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE
दैनिक भास्कर
THE HINDU
जनसत्ता
Daily
CURRENT
AFFAIRS
IAS/PCS
अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान
29 January

Quote of the Day

Result Mitra

अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है
तो मेहनत पर विश्वास करें!
किस्मत की आजमाईश तो
जुए में होती हैं..

Result Mitra

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनकी प्रक्रिया

UPSC Syllabus Relavance :

- प्रारंभिक परीक्षा : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
- मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: अस्थायी न्यायधीशों और सर्वोच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनकी प्रक्रिया

Result Mitra

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कई उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, अस्थायी आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है। यह कदम मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए उठाया जा सकता है।

अनुच्छेद 224(A)

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

धारा 224A:

- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायधीश रह चुका हो, अस्थायी रूप से उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अधिकार:

- उन्हें राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भत्ते मिलते हैं।
- उनके पास बैठते हुए उच्च न्यायालय के न्यायधीश के समस्त अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं; लेकिन उन्हें "स्वीकृत" न्यायधीश के रूप में नहीं माना जाता है।
- नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायधीश और भारत के राष्ट्रपति दोनों की सहमति आवश्यक है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों है?

- **आपराधिक मामलों का लंबित होना:** कई उच्च न्यायालयों में मामलों का अत्यधिक लंबित होना। उदाहरण के तौर पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 63,000 आपराधिक अपीलें लंबित हैं। इसी प्रकार, कर्नाटक, पटना, राजस्थान, और पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयों में क्रमशः 20,000, 21,000, 8,000 और 21,000 आपराधिक मामले लंबित हैं।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों है?

- पदों की कमी: सभी उच्च न्यायालयों में लगभग 40% पद रिक्त हैं।
- न्यायधीशों की नियुक्ति में देरी: कॉलेजियम द्वारा सिफारिश के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही है।
- कानूनी आयोग की सिफारिश: कानूनी आयोग की रिपोर्टों में (1979, 1988 और 2003 में) यह सुझाव दिया गया है कि पहले से ही दशकों का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायधीशों की अस्थायी नियुक्ति एक प्रभावी समाधान हो सकता है, जिससे मामलों के बढ़ते बोझ को निपटाया जा सके।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति के लाभ

1. अनुभवी न्यायधीश:

- सेवानिवृत्त न्यायधीश पहले से ही अनुभवी होते हैं, जिन्होंने न्यायिक कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। उनके पास निर्णय लेने की क्षमता और कानून की गहरी समझ होती है, जो उन्हें लंबित मामलों का निपटारा करने में मदद करती है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति के लाभ

2. त्वरित नियुक्ति प्रक्रिया:

- चूंकि इन न्यायधीशों ने पहले से न्यायधीश के रूप में कार्य किया है, नियुक्ति की प्रक्रिया तेज होती है। इनकी नियुक्ति में किसी विशेष जांच एजेंसी द्वारा पृष्ठभूमि जांच की आवश्यकता नहीं होती, जिससे समय की बचत होती है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति के लाभ

3. मामलों की संख्या में कमी:

- अस्थायी न्यायधीशों को पांच साल से पुराने मामलों को निपटाने का कार्य सौंपा जा सकता है, जिससे लंबित मामलों में कमी आ सकती है और न्याय की गति तेज हो सकती है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

चुनौतियाँ और मुद्दे:

1. नियमित नियुक्तियों में निष्क्रियता:
   - यदि अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो इससे नियमित न्यायधीशों की नियुक्तियों में देरी हो सकती है। यह संविधान के तहत नियमित न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निष्क्रियता को बढ़ावा दे सकता है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

Result Mitra

चुनौतियाँ और मुद्दे:

2. प्रशासनिक चुनौतियाँ:

- न्यायालय में बैठने वाले न्यायधीशों और अस्थायी न्यायधीशों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, दोनों के कार्यों का समेकन कर उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली में निर्बाध रूप से शामिल करना एक बड़ा प्रशासनिक चुनौती हो सकता है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति

चुनौतियाँ और मुद्दे:

3. कम उपयोग:

- यह प्रावधान संविधान में एक निष्क्रिय प्रावधान के रूप में मौजूद है और अब तक इसे केवल तीन बार इस्तेमाल किया गया है। 2021 के बाद इसका उपयोग नहीं हुआ है, जिससे यह कम सक्रिय लगता है।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

Result Mitra

- 1. प्रारंभिक कदम: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश, संबंधित न्यायधीश की सहमति के बाद, सेवानिवृत्त न्यायधीश का नाम और उनकी कार्यकाल अवधि राज्य के मुख्यमंत्री को सूचित करेंगे।
- 2. राज्य सरकार की सिफारिश: मुख्यमंत्री, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, इस सिफारिश को केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को भेजेंगे।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित न्यायाधीश की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम उनकी कार्यकाल अवधि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को भेज सकते है।

→ मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद केंद्रीय कानून मंत्री के पास इस मामले को भेजेंगे।

→ केंद्रीय मंत्री भारत के CJI से परामर्श करेंगे।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

Result Mitra

- 3. CJI से परामर्श: केंद्रीय मंत्री, भारत के मुख्य न्यायधीश से परामर्श करेंगे।
- 4. अंतिम स्वीकृति: CJI की सलाह प्राप्त करने के बाद, यह सिफारिश प्रधानमंत्री के पास जाएगी, जो फिर राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सलाह देंगे।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

- लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह सिफारिश "सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के माध्यम से भेजी जानी चाहिए", जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायधीश शामिल हैं।
- जैसे ही राष्ट्रपति नियुक्ति पर अपनी सहमति देंगे, न्याय विभाग भारत सरकार की गजट में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

Result Mitra

लोक प्रहरी बनाम भारत संघ केस में दिए गए दिशा-निर्देश जो अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति को प्रेरित करते हैं:

- 1. यदि रिक्तियाँ स्वीकृत संख्या के 20% से अधिक हैं।
- 2. यदि किसी विशेष श्रेणी के मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
- 3. यदि लंबित मामलों का 10% से अधिक पांच साल से पुराने हैं।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

- 4. यदि मामलों के निपटारे की दर उस दर से कम है, जिस पर मामले दायर किए जाते हैं।
- 5. यदि किसी विशेष विषय या सामान्य मामलों में मामले दायर करने की दर से निपटारे की दर लगातार एक साल या उससे अधिक समय तक कम रहती है, तो बकाया मामलों का ढेर बढ़ सकता है।

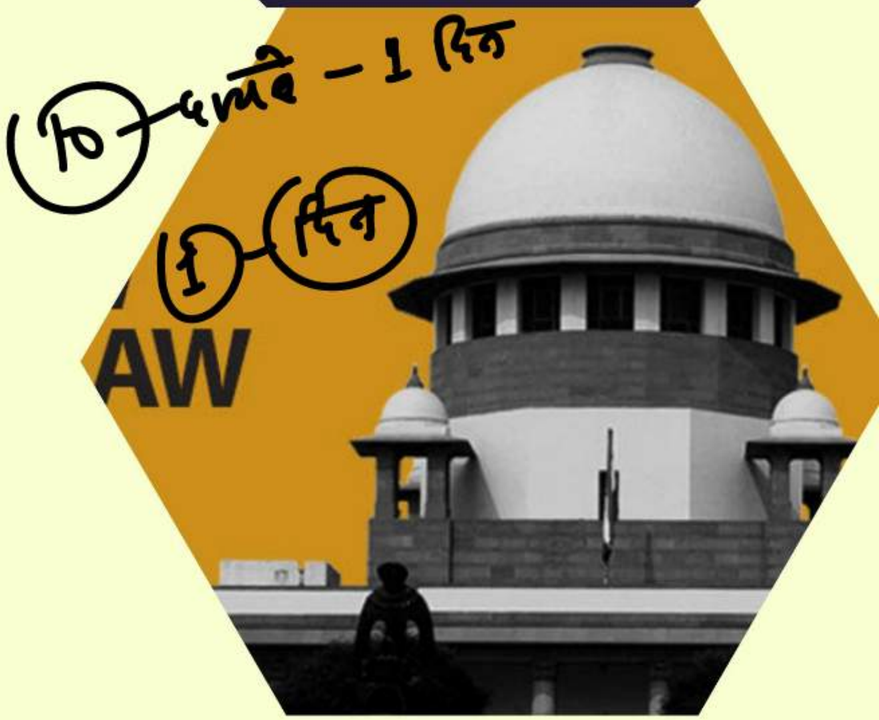

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।

→ इसे भारतीय संविधान के तहत 1950 में स्थापित किया गया था।

→ यह अंतिम अपीलीय (अदालत) अधिकार के तहत कार्य करता है।

→ सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है (Judicial Review)

→ यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है।

→ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नींव 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी।

स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च
न्यायालय की स्थापना हुई।

अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया

Result Mitra

- यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को बेहतर और तेज बनाने के लिए जरूरी है। इस प्रक्रिया में अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति से न्यायिक विलंब को कम किया जा सकता है, जो वर्तमान में देशभर में एक बड़ी समस्या बन गई है।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-सी बातें सर्वोच्च न्यायालय और अस्थायी न्यायधीश (Ad-hoc Judges) के संदर्भ में सही है/हैं?

(1) सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार तक सीमित है, और यह केवल संविधानिक मामलों में निर्णय लेता है।

(2) अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के किसी न्यायधीश को अस्थायी रूप से न्यायधीश नियुक्त करने के लिए की जाती है, और यह निर्णय राष्ट्रपति की स्वीकृति पर आधारित होता है।

कूट:

(A) केवल (1)

(B) केवल (2)

(C) दोनों (1) और (2)

(D) न तो (1) और न ही (2)

Result Mitra

धर्म एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधित मुद्दे

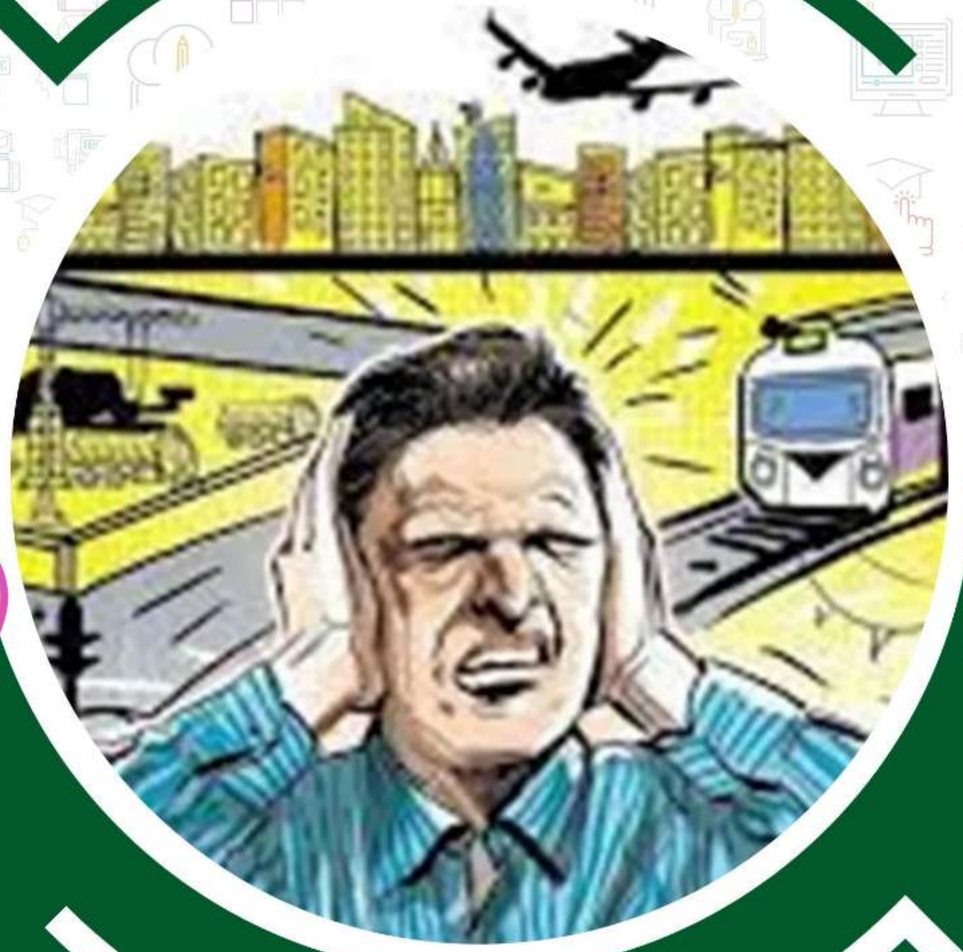

UPSC Syllabus Relavance :

- प्रारंभिक परीक्षा : ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का संरक्षण और न्यायपालिका के निर्णय
- मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: सामाजिक मुद्दे, प्रशासनिक जवाबदेही, न्यायिक सक्रियता, और संविधान के प्रावधान

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनकी प्रक्रिया

Result Mitra

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग और इससे होने वाले अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
- इस निर्णय में अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग रोक दिया जाता है तो यह किसी भी धार्मिक संस्था या व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

- यह मामला मुंबई के कुर्ला और चूनाभट्टी क्षेत्रों के दो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा दायर याचिका से संबंधित था, जिसमें इन क्षेत्रों में मस्जिदों और मदरसों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस की निष्क्रियता को उजागर किया गया।

न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु:

1. स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। उच्च ध्वनि स्तर से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर नींद में व्यवधान और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु:

2. लाउडस्पीकर का उपयोग:

- अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म में लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग "आवश्यक धार्मिक प्रथा" के तहत नहीं आता है। यह केवल एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जाता है, जिसे जनहित में नियंत्रित किया जा सकता है।

न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु:

3. संविधान के अनुच्छेदों का पालन:

- न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन नहीं होता है।

पुलिस को दिए गए निर्देश:

- न्यायालय ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वह ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों को कड़े तरीके से लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण का कोई असर न हो।
- इसके अलावा, पुलिस को डेसिबल स्तर मापने वाले मोबाइल ऐप्स का उपयोग करने का निर्देश दिया ताकि ध्वनि प्रदूषण का सही मूल्यांकन किया जा सके।

शिकायतकर्ता की पहचान को लेकर निर्देश:

- पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ताओं की पहचान को गोपनीय रखे, ताकि किसी भी तरह की प्रताड़ना या हिंसा से बचा जा सके। यदि कोई शिकायत दायर की जाती है, तो पहली बार शिकायत मिलने पर संबंधित धार्मिक स्थल को चेतावनी दी जाएगी।
- दूसरी बार शिकायत मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार शिकायत मिलने पर उस धार्मिक स्थल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के लिए दिशा-निर्देश:

- न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी धार्मिक संस्थान शोर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ऑटो डेसिबल सीमा वाले कैलिब्रेटेड साउंड सिस्टम का उपयोग करें।

ध्वनि प्रदूषण से संबंधित वर्तमान नियम:

- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
- जब पुलिस डेसिबल स्तर मापेगी, तो उसे केवल एक लाउडस्पीकर के शोर का मूल्यांकन नहीं करना होगा, बल्कि उस क्षेत्र में सभी लाउडस्पीकरों का कुल शोर स्तर मापना होगा।

लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय:

- पूर्व में एक अन्य मामले में, डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता।

लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्व में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय:

- इसके अलावा, शांति क्षेत्रों और रिहायशी इलाकों में रात के समय हॉर्न के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह सांस्कृतिक या धार्मिक अवसरों पर, शांति क्षेत्रों को छोड़कर, 15 दिनों तक रात 10 बजे से मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है।

संबंधित मुद्दे:

- **1. स्वास्थ्य पर प्रभाव:** अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से नींद में व्यवधान, मानसिक तनाव, और कानों की समस्या हो सकती है, जिससे लंबी अवधि में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- **2. समाज में विवाद और हिंसा:** कई बार लोग धार्मिक स्थलों पर शोर की शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे धार्मिक टकराव हो सकता है। इस कारण समाज में हिंसा की संभावना बनी रहती है।

संबंधित मुद्दे:

- 3. **प्रशासन की निष्क्रियता:** नियामक एजेंसियां और पुलिस इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई नहीं करतीं, खासकर धार्मिक भावनाओं के आहत होने के डर से।

संबंधित मुद्दे:

- 3. **प्रशासन की निष्क्रियता:** नियामक एजेंसियां और पुलिस इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई नहीं करतीं, खासकर धार्मिक भावनाओं के आहत होने के डर से।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न: Assertion (A): बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगाने को सही ठहराते हुए कहा कि यह धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

Reason (R): न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का उपयोग किसी भी धर्म की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इससे उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

(a) दोनों कथन सत्य हैं और कारण पहले कथन का उचित समर्थन करता है।

(b) पहला कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(c) पहला कथन असत्य है, लेकिन कारण सत्य है।

(d) दोनों कथन असत्य हैं।

Result Mitra

वक्फ संपत्ति की जानकारी एवं वक्फ विधेयक

UPSC Syllabus Relavance :

- प्रारंभिक परीक्षा : वक्फ (संशोधन) बिल 2024 और वक्फ प्रणाली
- मुख्य परीक्षा : यह बिल और वक्फ प्रणाली, संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक सुधार, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (संघ और राज्य के कार्य)

वक्फ (संशोधन) बिल 2024: एक विश्लेषण

- वक्फ (संशोधन) बिल 2024 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार और दक्षता लाने के उद्देश्य से 1995 के वक्फ अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है।
- इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है, साथ ही वक्फ व्यवस्था से जुड़ी पुरानी समस्याओं का समाधान करना है।

वक्फ (संशोधन) बिल 2024: एक विश्लेषण

- वर्तमान में, यह बिल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है, जो इसके बारे में जनसामान्य से प्राप्त टिप्पणियों का विस्तृत मूल्यांकन कर रही है।

वक्फ संपत्ति क्या है?

- वक्फ वह संपत्ति है जिसे मुस्लिम समुदाय द्वारा किसी विशेष धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए दान किया जाता है। वक्फ संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह के पास माना जाता है, और इसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है।

वक्फ संपत्ति क्या है?

- वक्फ की स्थापना किसी लिखित वसीयत, कानूनी दस्तावेज, या मौखिक रूप में की जा सकती है। यदि कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए उपयोग हो रही है, तो उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद, उसकी स्थिति स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है।

वक्फ का इतिहास और उत्पत्ति

- भारत में वक्फ की परंपरा दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक समय से ही मौजूद है। सुलतान मुइज़ुद्दीन सम ग़ौर ने मुलतान की जामा मस्जिद के लिए दो गांव दान किए और इसके प्रशासन के लिए शेखुल इस्लाम को नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत और अन्य इस्लामी शासकों के समय में वक्फ संपत्तियों की संख्या में वृद्धि हुई।

वक्फ का इतिहास और उत्पत्ति

- ब्रिटिश शासन के दौरान, 19वीं सदी के अंत में, प्रिवी काउंसिल ने वक्फ को "परमानेंटिटी के सबसे खराब रूप" के रूप में आलोचना की और इसे अमान्य घोषित किया। हालांकि, मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम 1913 के तहत वक्फ प्रणाली को वैध माना गया, जिसके बाद वक्फ की स्थिति को पुनः स्वीकार किया गया।

वक्फ अधिनियम 1995

WAQF ACT

- 1995 का वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम राज्यों में वक्फ बोर्ड की स्थापना अनिवार्य करता है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख का कार्य करते हैं। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- 1. वक्फ को इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण माना जाता है।

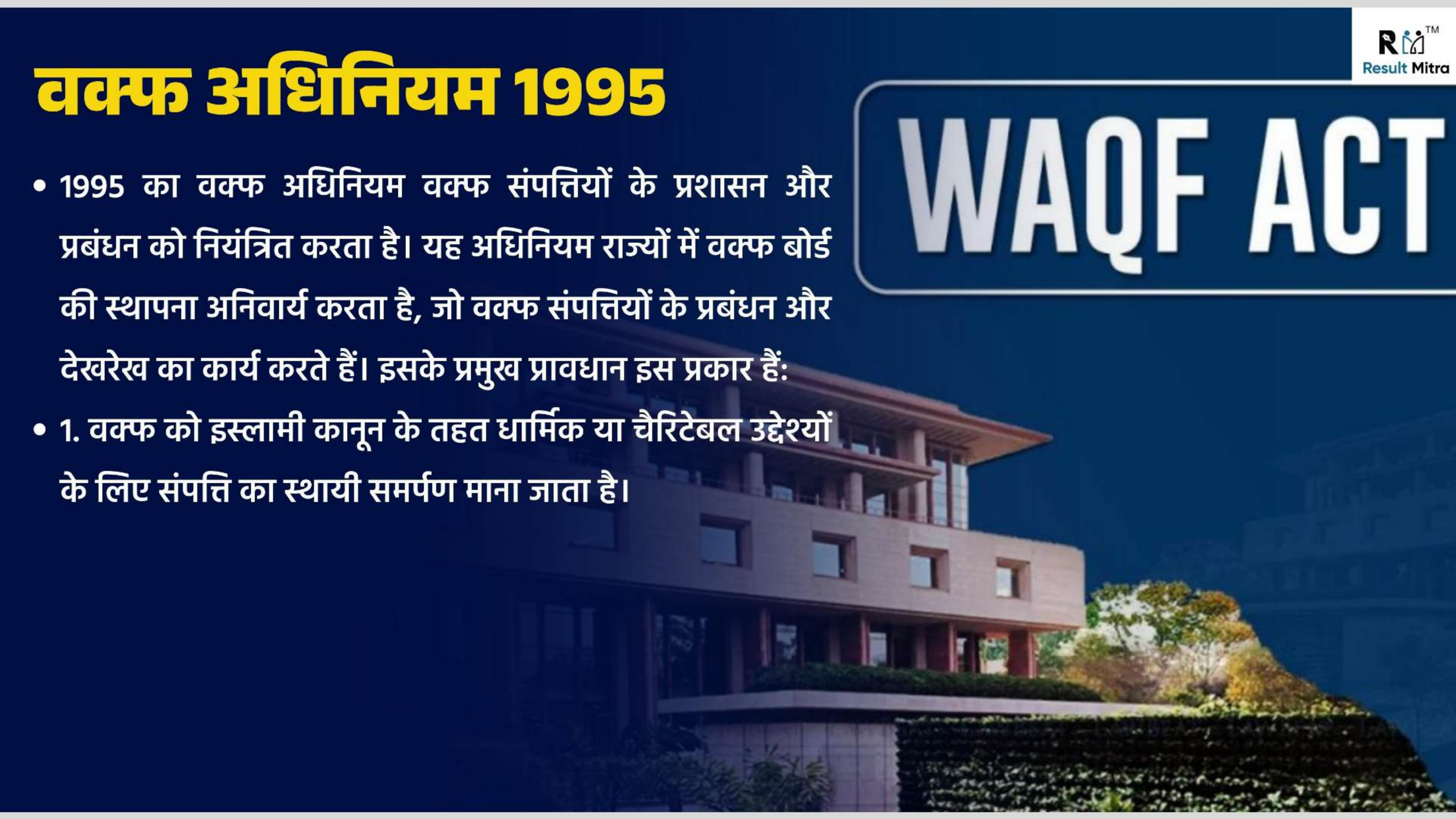

Result Mitra

वक्फ अधिनियम 1995

WAQF ACT

- 2. प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है, जो वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
- 3. केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की जाती है, जो वक्फ मामलों पर सलाह देती है।
- 4. वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाती है।
- 5. वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और सर्वेक्षण अनिवार्य किया जाता है।

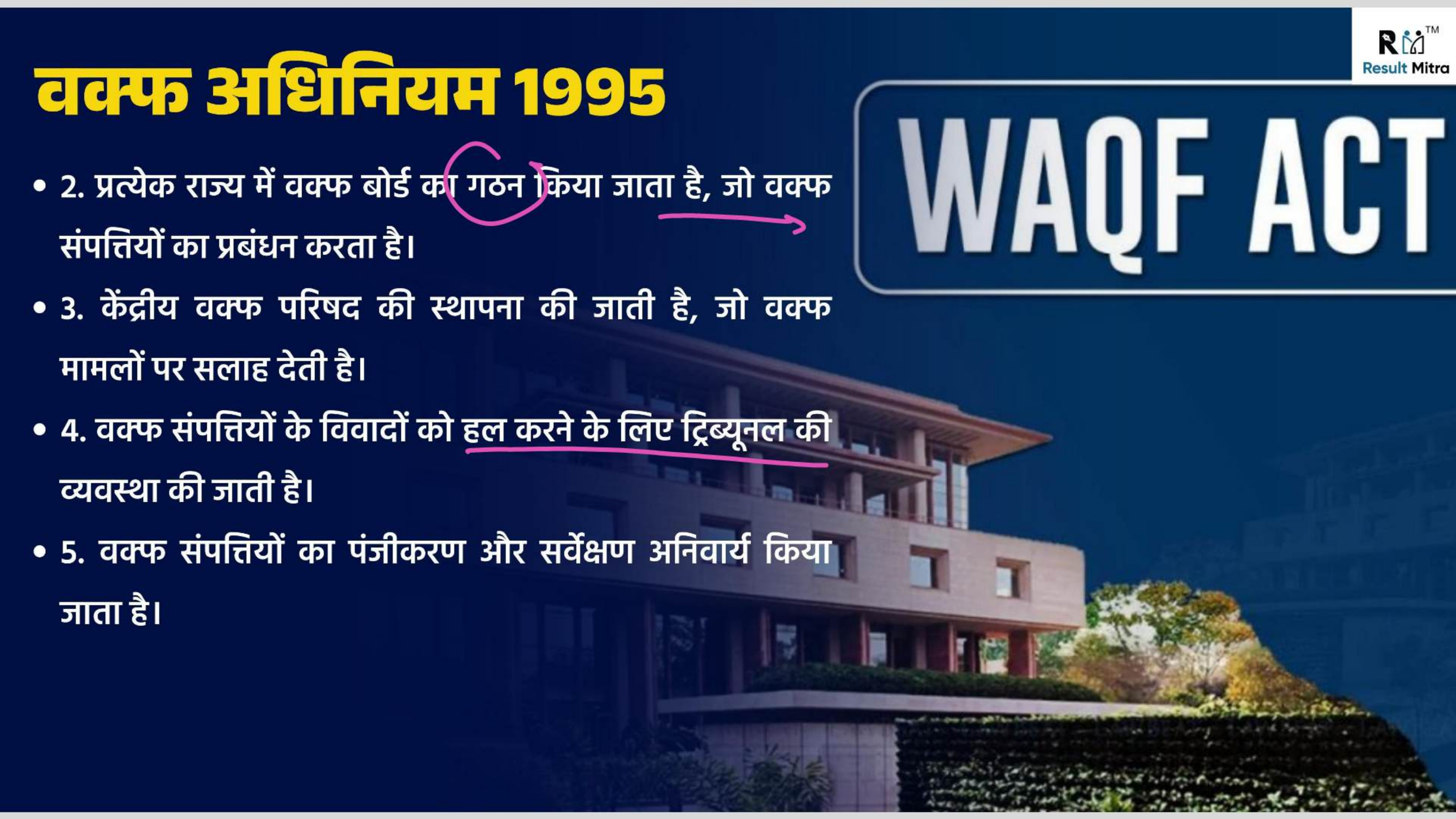

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के प्रमुख प्रावधान

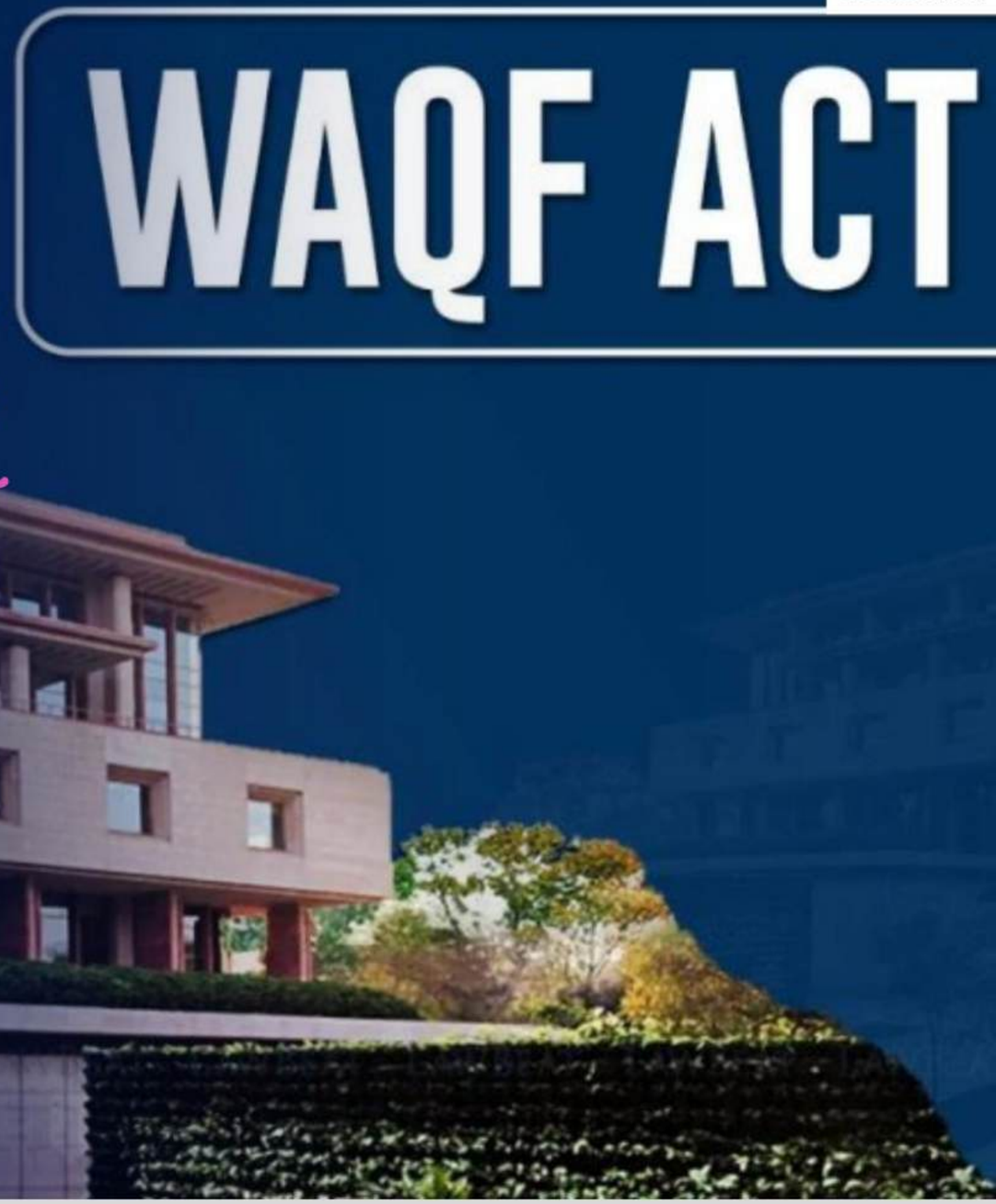

- वक्फ (संशोधन) बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनलों के प्रबंधन का नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंपा जाएगा, जिससे प्रशासनिक समस्याओं को हल किया जा सकेगा और नियंत्रण को केंद्रीकरण किया जाएगा।

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के प्रमुख प्रावधान

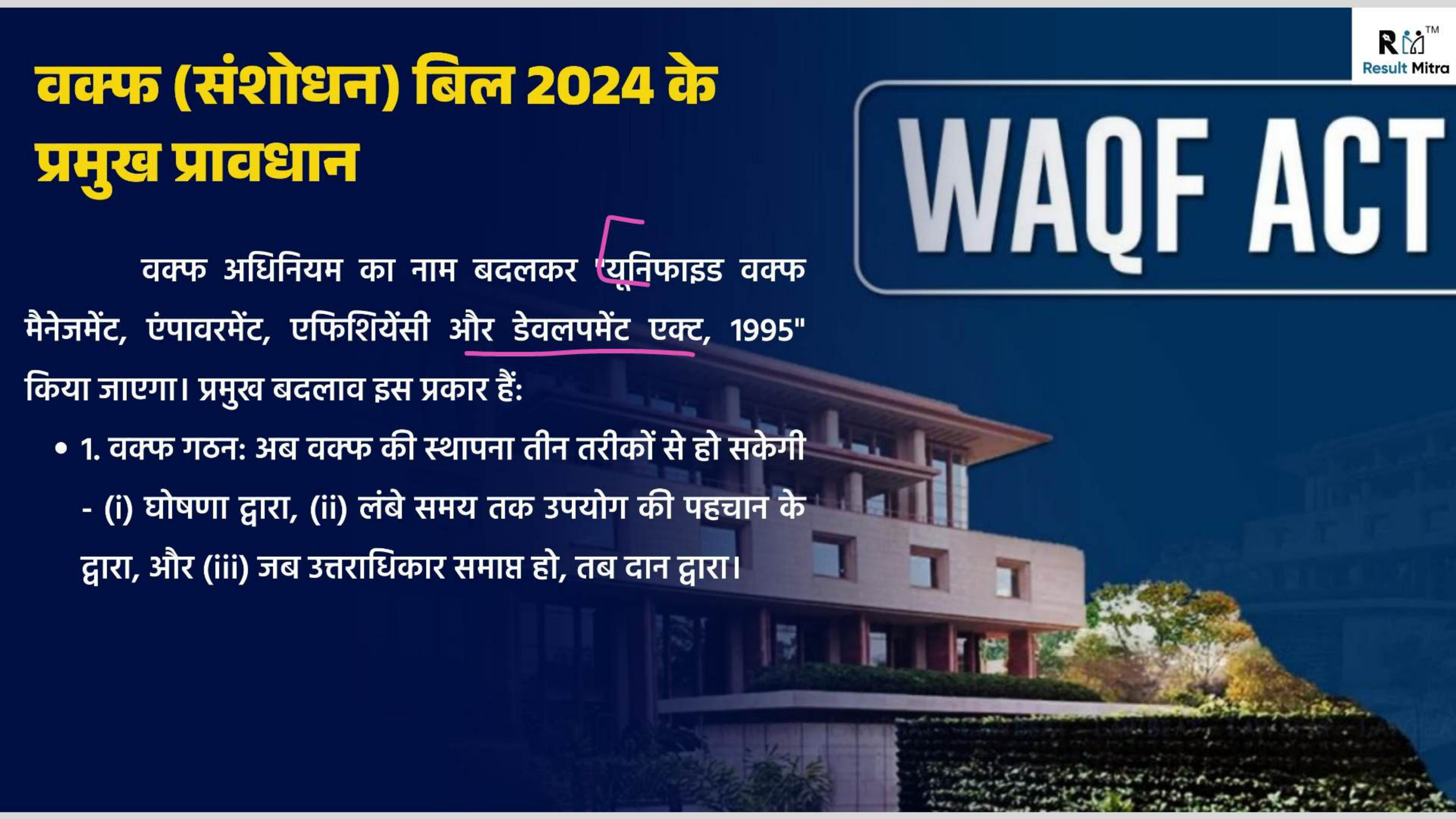

वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर "यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशियेंसी और डेवलपमेंट एक्ट, 1995" किया जाएगा। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

- 1. वक्फ गठन: अब वक्फ की स्थापना तीन तरीकों से हो सकेगी - (i) घोषणा द्वारा, (ii) लंबे समय तक उपयोग की पहचान के द्वारा, और (iii) जब उत्तराधिकार समाप्त हो, तब दान द्वारा।

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के प्रमुख प्रावधान

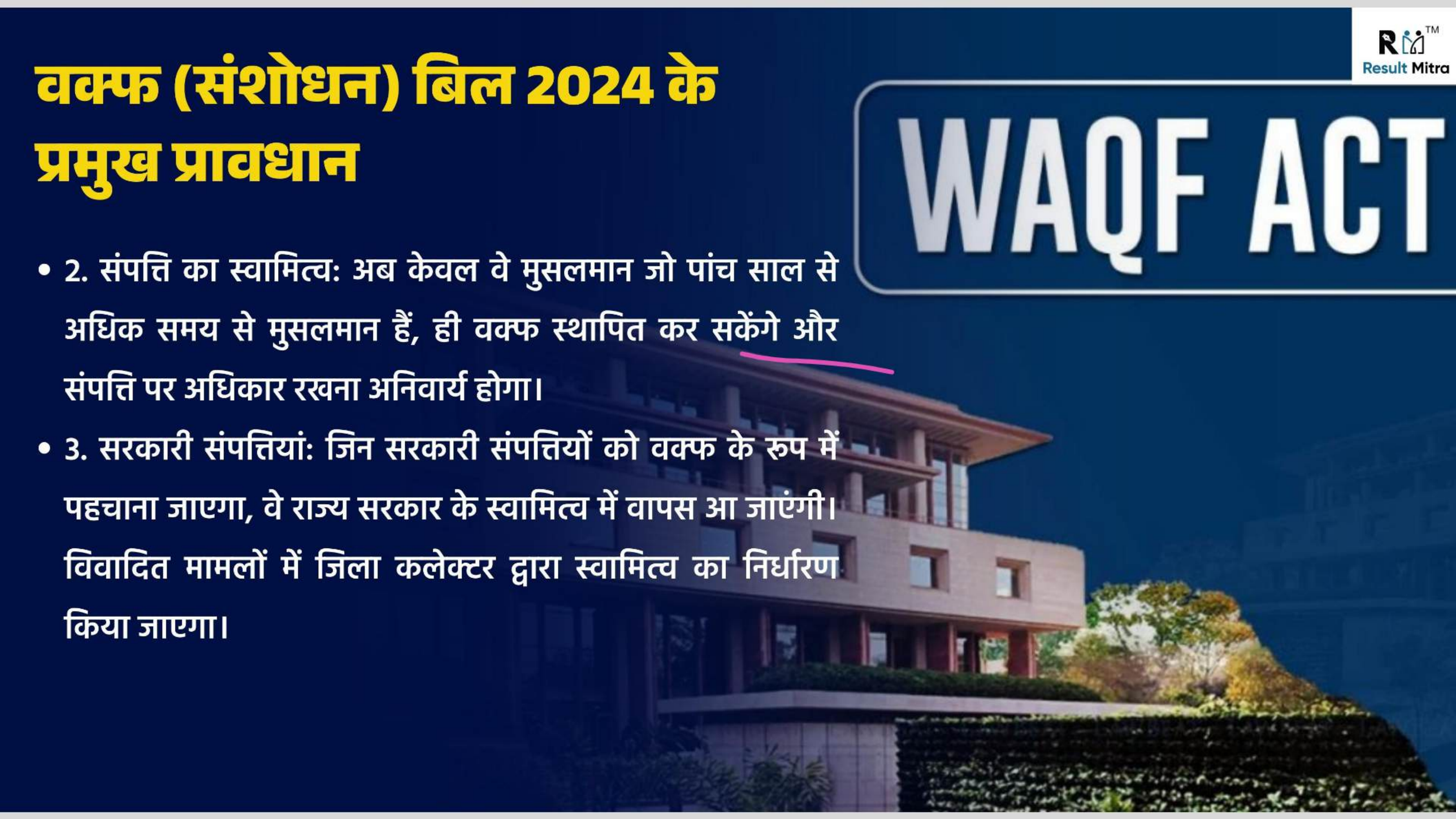

- 2. संपत्ति का स्वामित्व: अब केवल वे मुसलमान जो पांच साल से अधिक समय से मुसलमान हैं, ही वक्फ स्थापित कर सकेंगे और संपत्ति पर अधिकार रखना अनिवार्य होगा।
- 3. सरकारी संपत्तियां: जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में पहचाना जाएगा, वे राज्य सरकार के स्वामित्व में वापस आ जाएंगी। विवादित मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा।

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के प्रमुख प्रावधान

Result Mitra

WAQF ACT

- 4. वक्फ संपत्ति निर्धारण: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के निर्धारण की शक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा।
- 5. वक्फ सर्वेक्षण: वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब राज्य राजस्व कानूनों के तहत कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
- 6. केंद्रीय वक्फ परिषद: इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे।

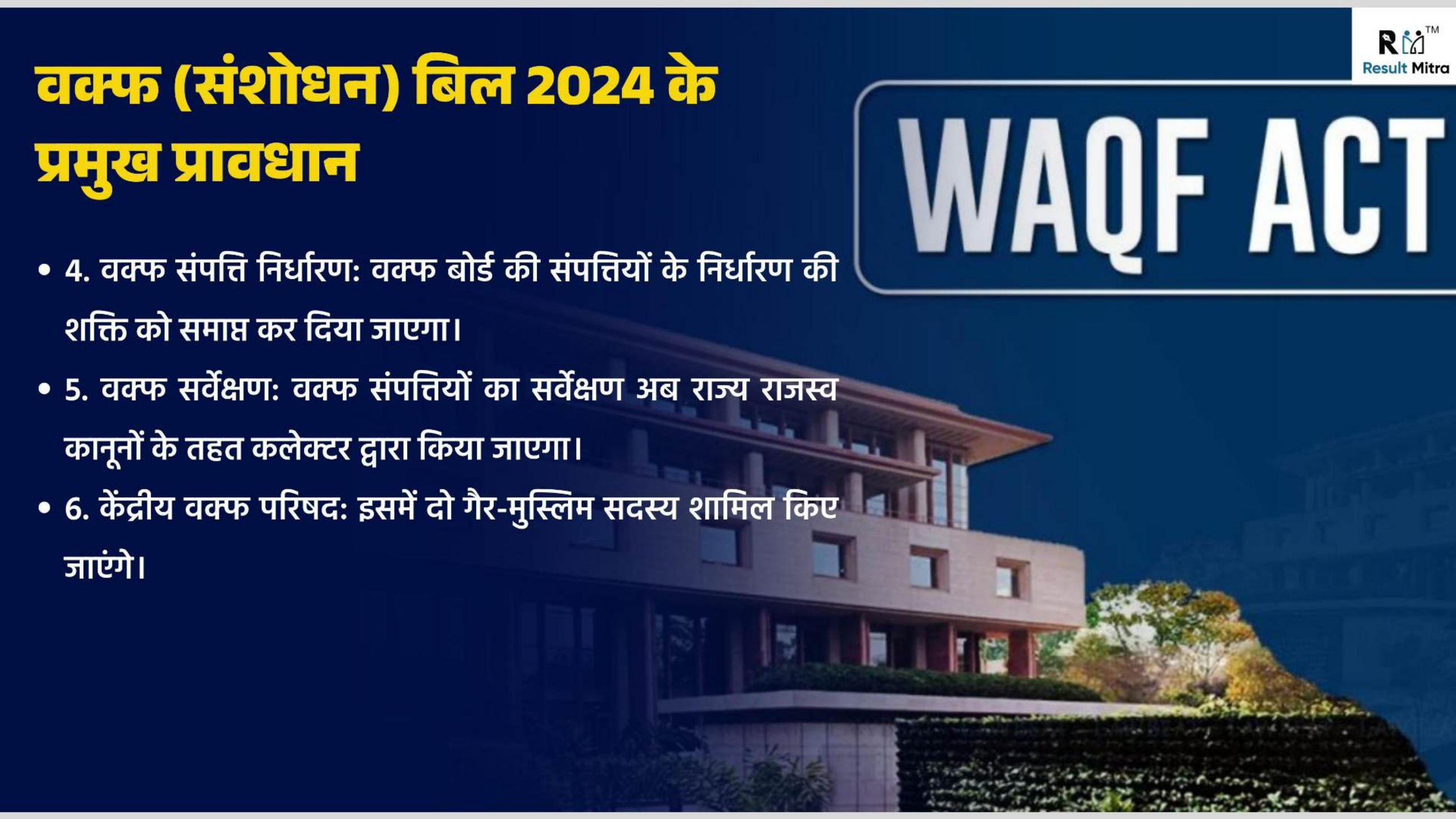

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के प्रमुख प्रावधान

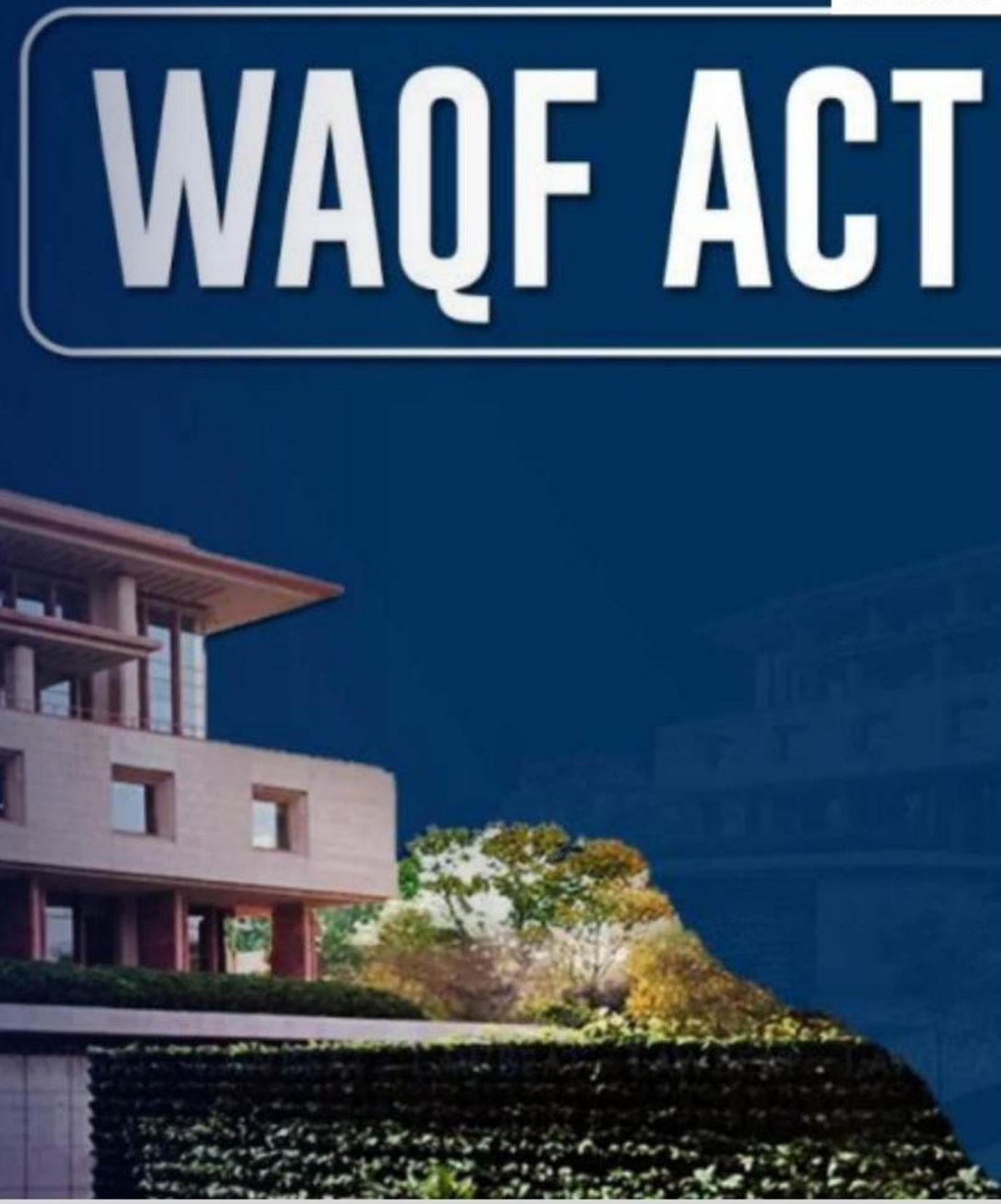

- 7. वक्फ बोर्ड: राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेंगी, जिनमें दो गैर-मुसलमान, शिया, सुन्नी और पिछड़ी मुस्लिम समुदायों के सदस्य शामिल होंगे। महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेगा।
- 8. ट्रिब्यूनल संरचना: मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को हटा दिया जाएगा, और ट्रिब्यूनल में जिला न्यायालय के न्यायधीश और राज्य अधिकारी होंगे।

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 का महत्व

WAQF ACT

यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने और सुधारने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्रमुख फायदे निम्नलिखित हैं:

- 1. पारदर्शिता और जवाबदेही: यह वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और गलत प्रबंधन को रोकने के लिए अधिक निगरानी और नियमन को बढ़ावा देगा।
- 2. प्रशासन में सुधार: यह प्रक्रियाओं को अद्यतन करेगा और रिकॉर्ड-कीपिंग में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा।

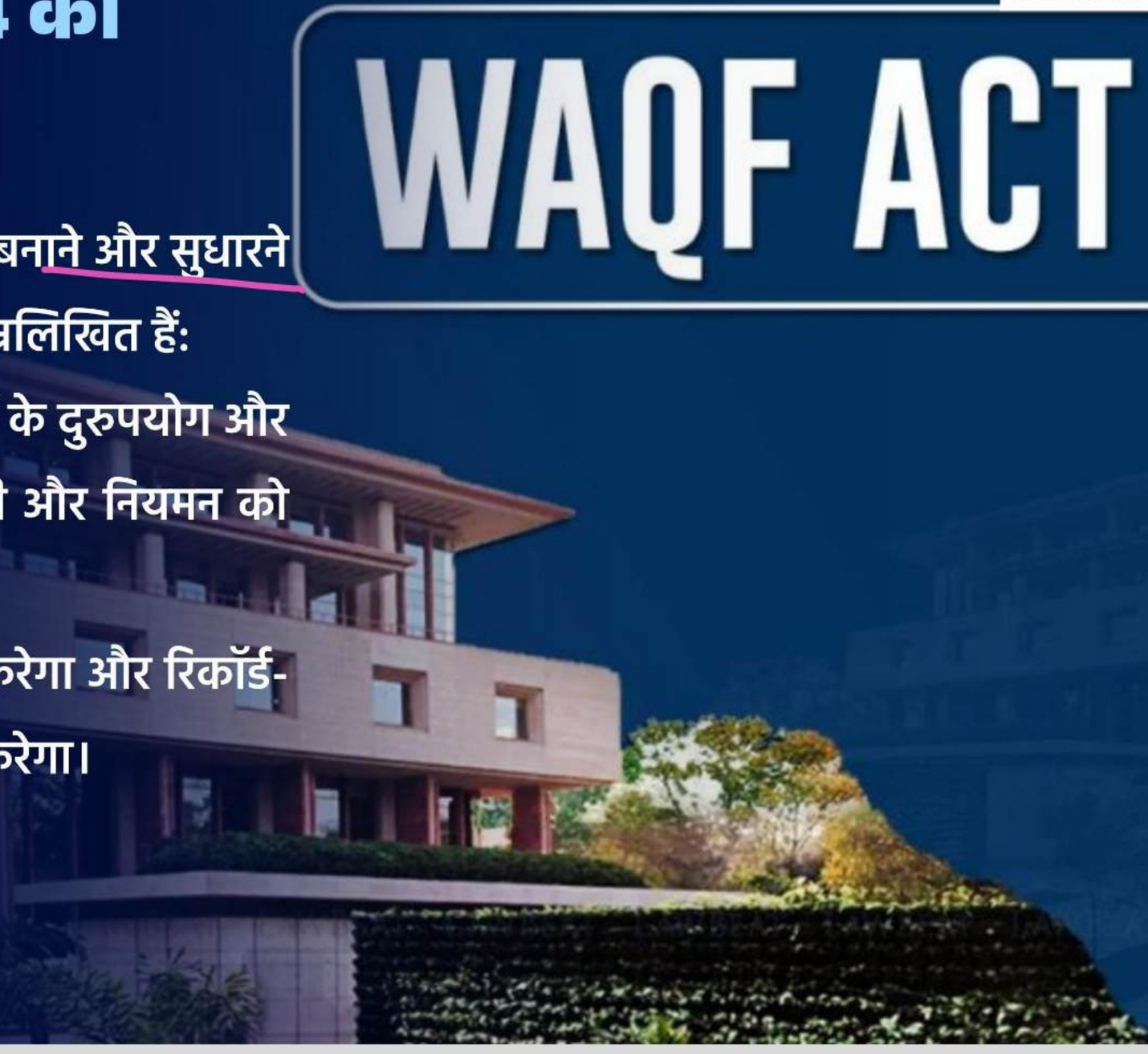

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 का महत्व

WAQF ACT

- 3. संपत्तियों की सुरक्षा: वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध स्थानांतरण को रोकने के लिए कठोर दंड और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा।
- 4. समावेशन और विविधता: वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर-मुसलमानों का अधिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाएगा, जिससे विविधता और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।

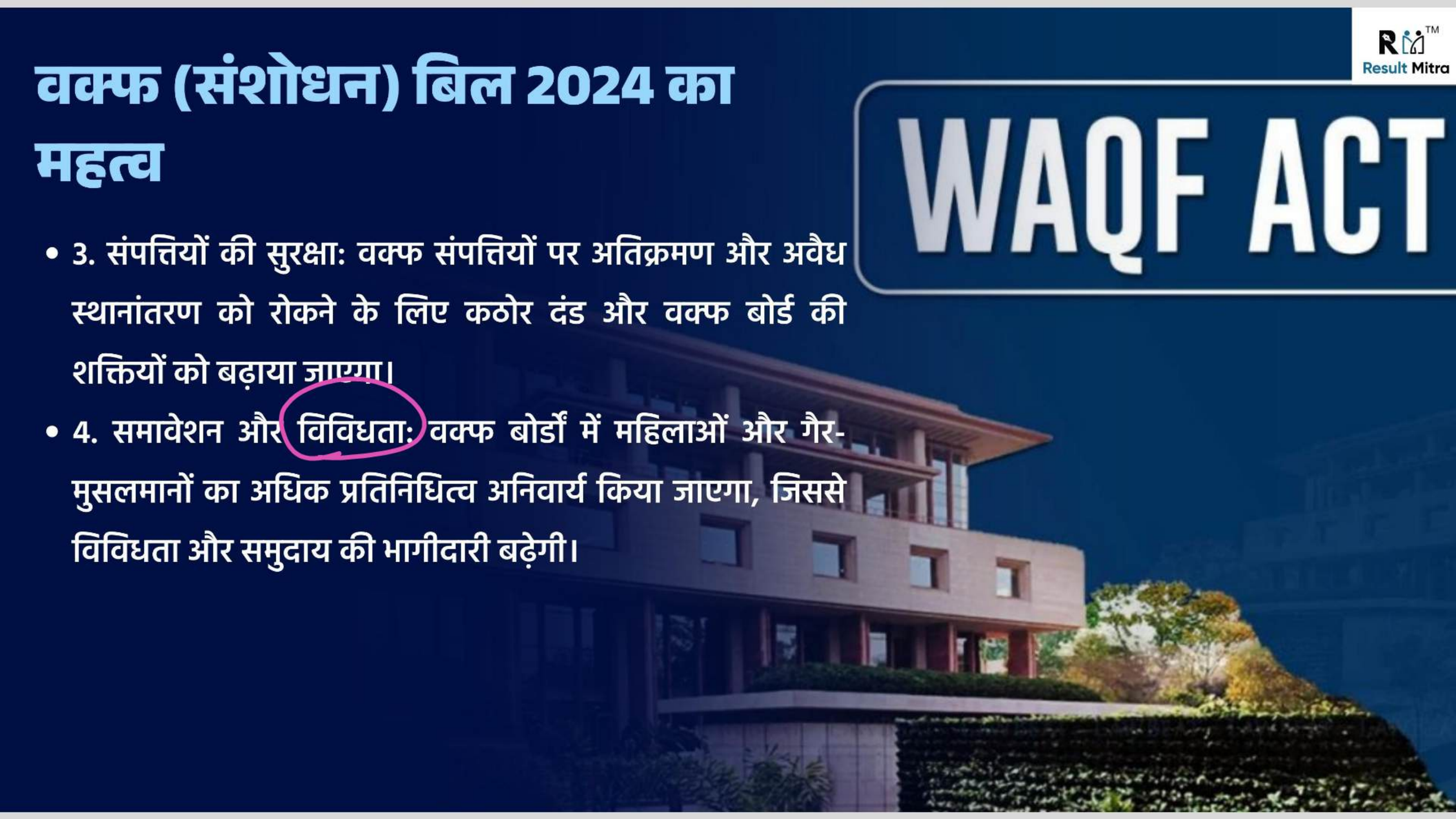

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 का महत्व

- 5. ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में भ्रष्टाचार और अक्षमता को संबोधित करने के लिए नए नियमों की शुरुआत की जाएगी।

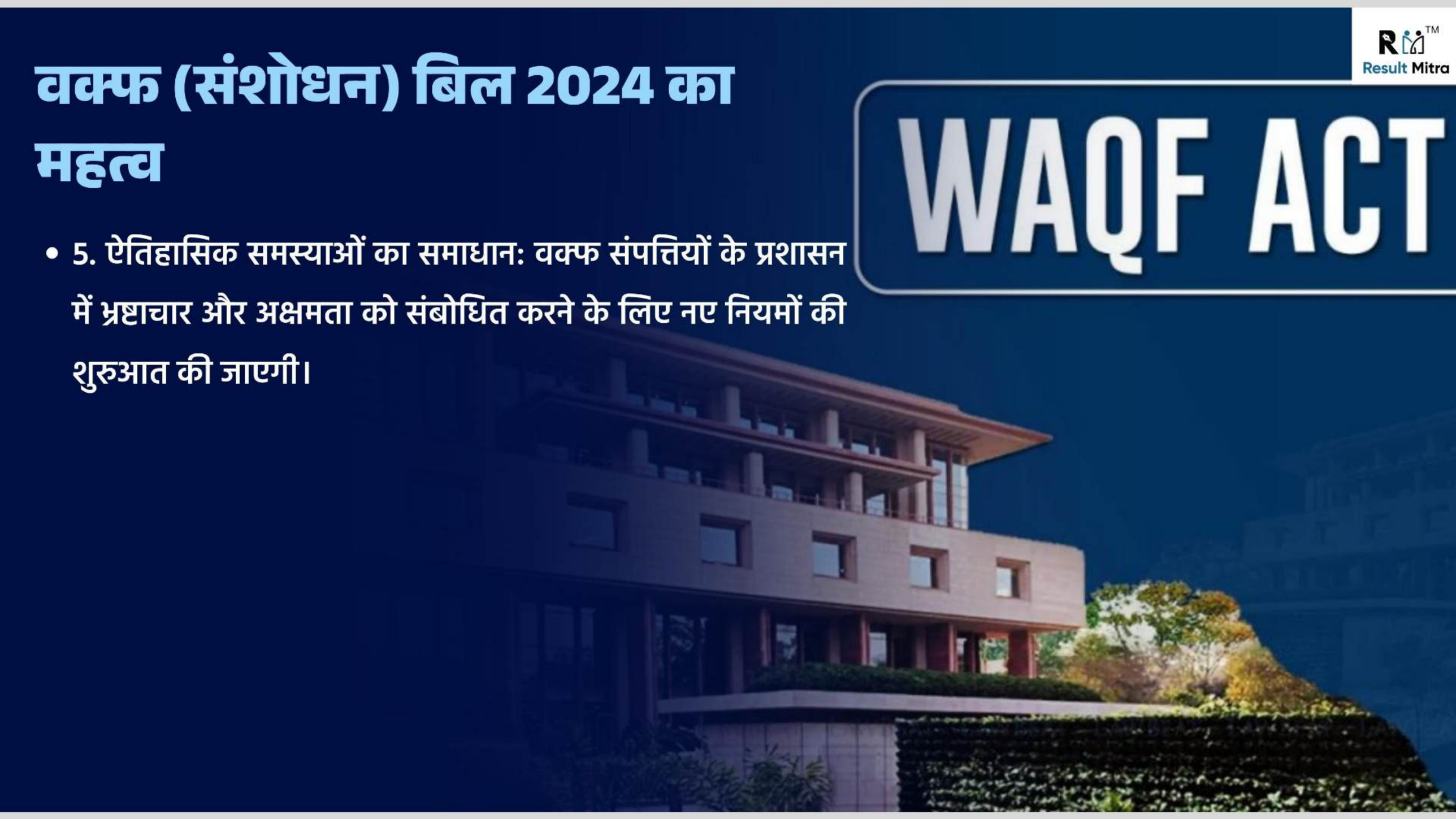

Result Mitra

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 की आलोचनाएं

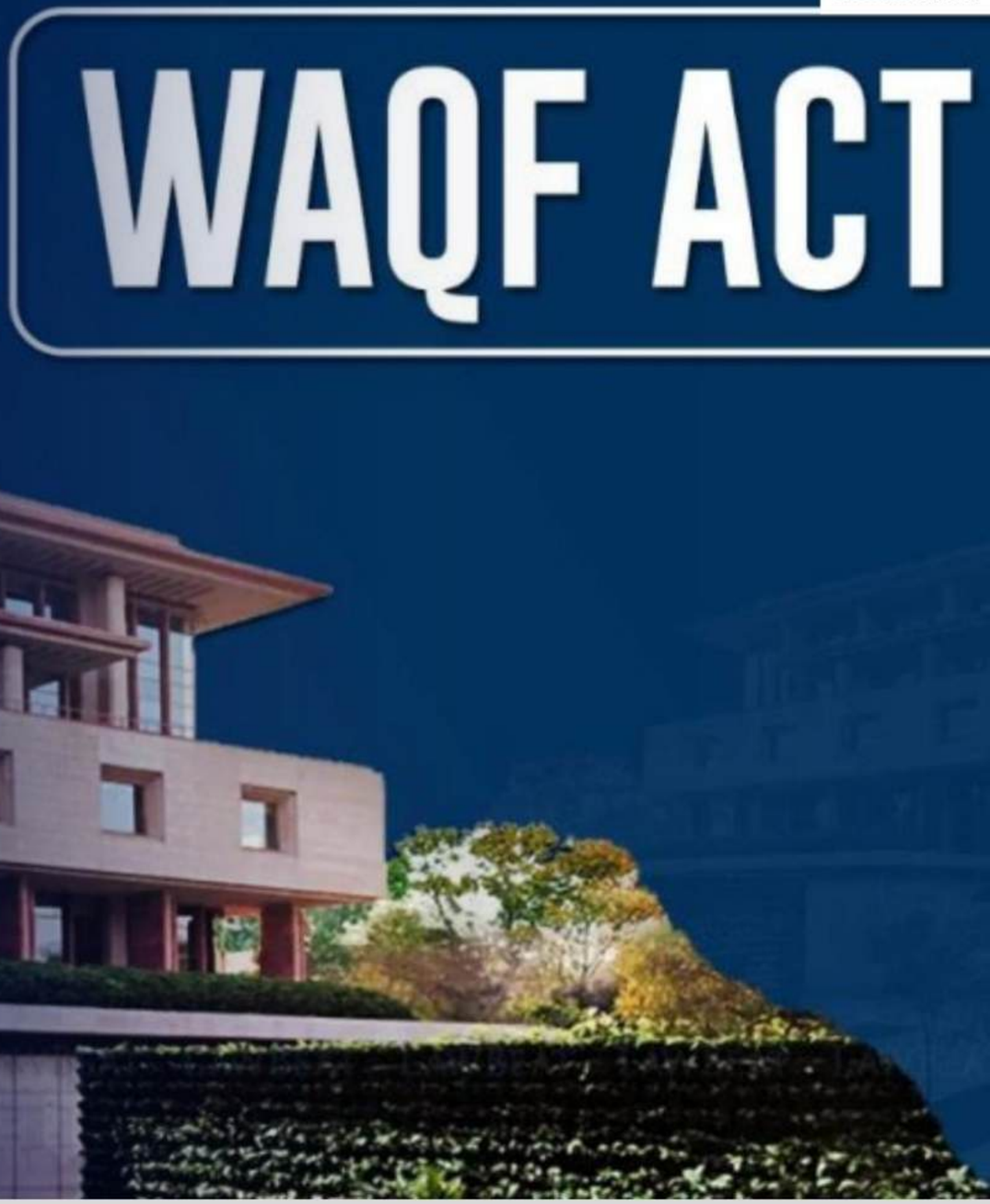

इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद कई आलोचनाएं सामने आई हैं। आलोचकों का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों की स्वायत्तता को कमजोर करने का प्रयास है। प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं:

- 1. धार्मिक अधिकारों पर आक्रमण: आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता के तहत।

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 की आलोचनाएं

- 2. सरकारी नियंत्रण में वृद्धि: बिल में राज्य सरकारों को वक्फ संपत्तियों और विवादों पर अधिक अधिकार दिया गया है, जिसे एक प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप माना जा रहा है।
- 3. समुदाय से परामर्श की कमी: बिल की आलोचना की जा रही है कि इसमें मुस्लिम समुदाय से पर्याप्त परामर्श नहीं लिया गया है, जिसके कारण इसके वैधता और स्वीकृति पर सवाल उठ रहे हैं।

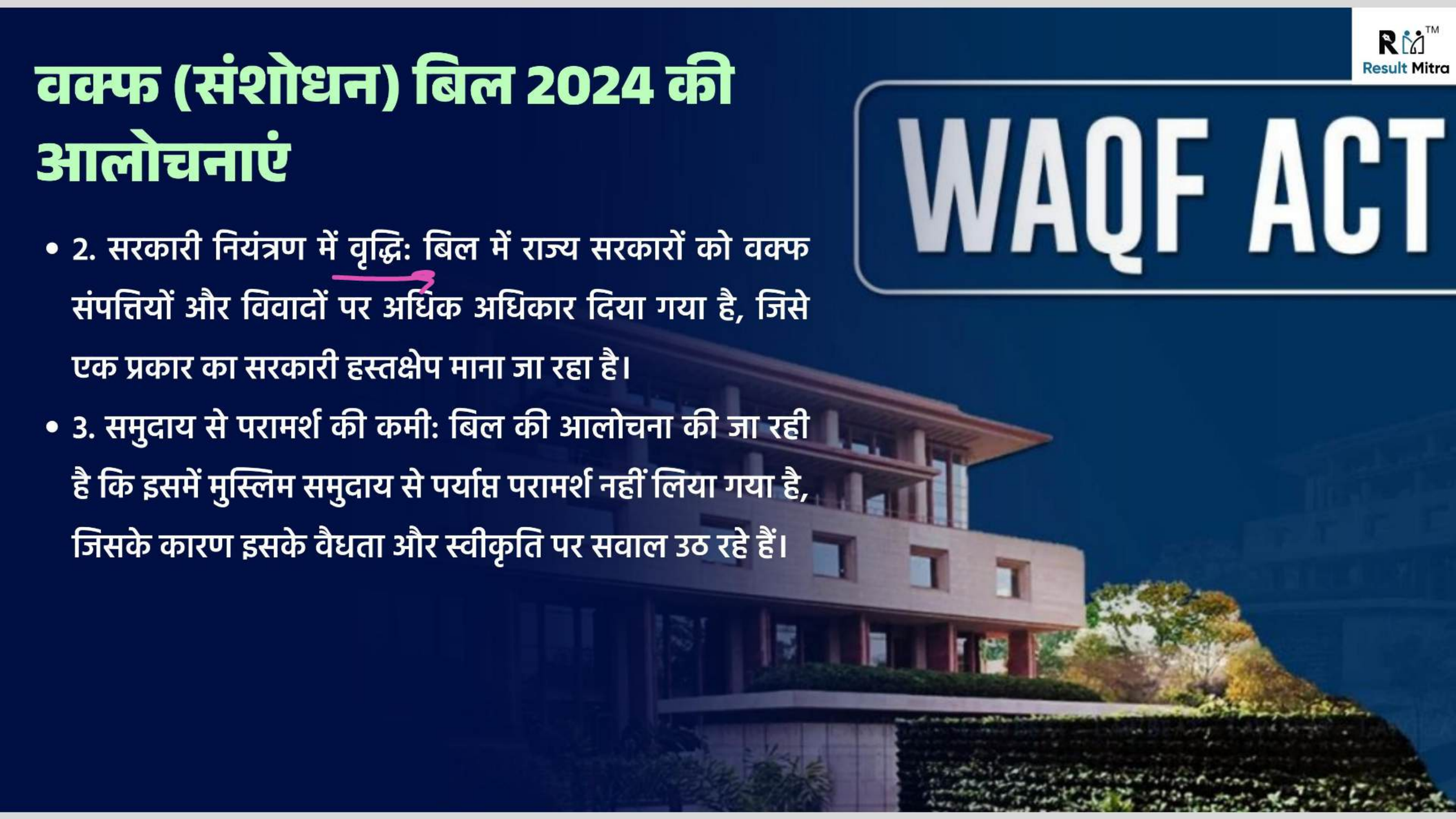

वक्फ (संशोधन) बिल 2024 की आलोचनाएं

- 4. इतिहासिक संदर्भ का अभाव: यह विधेयक "वक्फ बाय यूज़र" की पहचान करने के प्रावधानों को हटाता है, जो बिना दस्तावेजीकरण के वक्फ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही संपत्तियों के लिए खतरे का कारण बन सकता है।

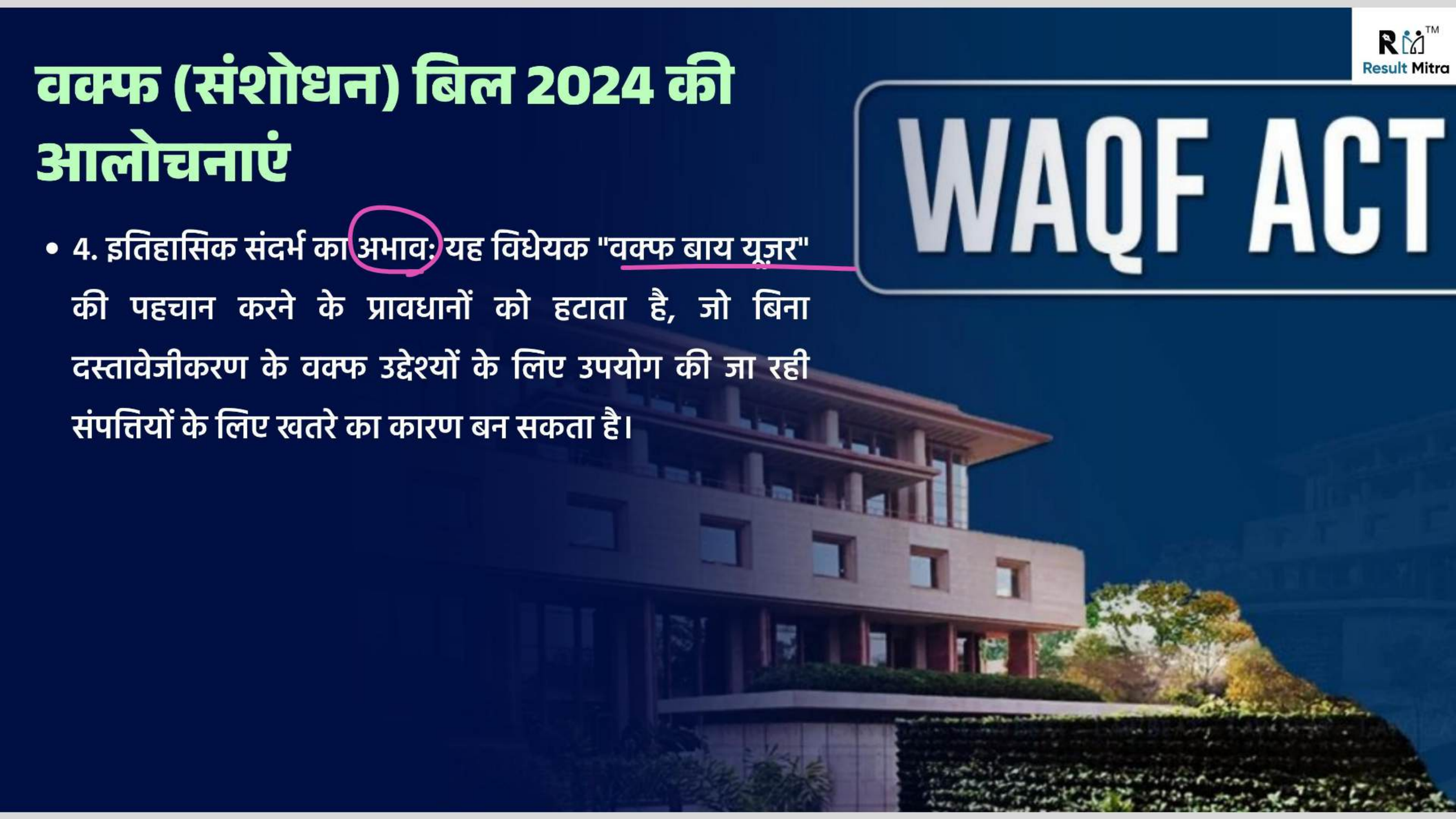

Result Mitra

निष्कर्ष

- वक्फ (संशोधन) बिल 2024 एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। हालांकि, इसे लेकर विभिन्न दृष्टिकोण और विवाद हैं, जो इसे और इसके प्रभावों को लेकर व्यापक बहस का कारण बन सकते हैं।

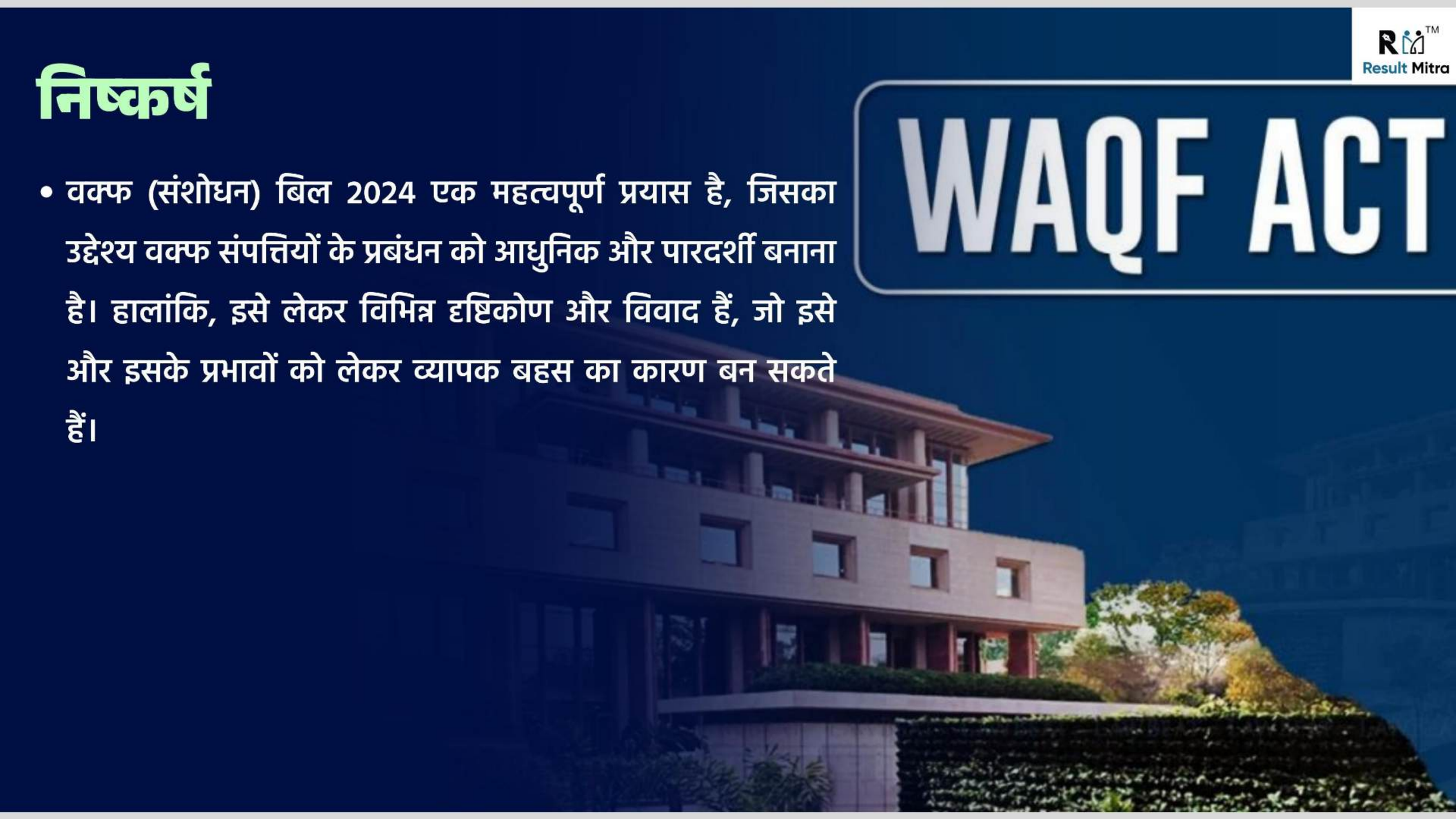

Result Mitra

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न: वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वक्फ (संशोधन) बिल 2024 में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

2. वक्फ (संशोधन) बिल 2024 के तहत, वक्फ संपत्तियो के निर्धारण की शक्ति अब जिला कलेक्टर के पास होगी, और वक्फ बोर्ड की भूमिका को समाप्त कर दिया जाएगा।

कौन से कथन सही हैं?

(A) केवल 1 सही है

(B) केवल 2 सही है

(C) दोनों कथन सही हैं

(D) दोनों कथन गलत हैं

Result Mitra

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

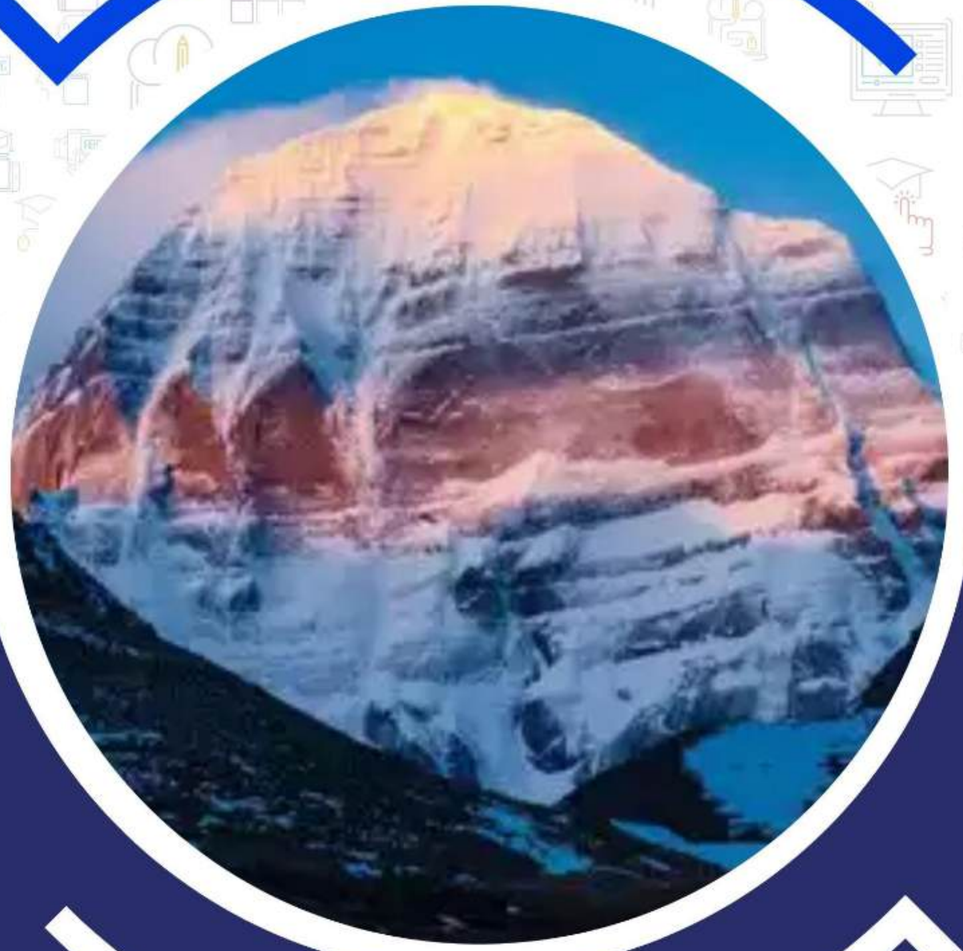

UPSC Syllabus Relavance :

- प्रारंभिक परीक्षा : भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, कूटनीतिक समझौतों और सीमा विवाद
- मुख्य परीक्षा (Mains), GS Paper 2 (संचालन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय), GS Paper 3 (आर्थिक विकास): भारत-चीन संबंधों, सीमा सुरक्षा, कूटनीति, और आर्थिक संबंधों

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर हालिया घटनाक्रम

- तीन महीने की वार्ताओं के बाद, भारत और चीन ने इस गर्मी में कुमाऊं यात्रा (मंसरोवर यात्रा) के पुनः प्रारंभ, वीज़ा सेवाओं, प्रत्यक्ष उड़ानों और विभिन्न सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं अन्य आदान-प्रदानों को फिर से शुरू करने के लिए ठोस उपायों पर सहमति जताई है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

ऐतिहासिक संदर्भ और हाल की घटनाएँ

- भारत और चीन, एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ, एक जटिल और विविधतापूर्ण संबंधों को साझा करती हैं, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक गतिशीलताओं से प्रभावित हैं।
- सीमा पर तनाव, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य गतिरोध और COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बाद, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बहाल करने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

ऐतिहासिक संदर्भ और हाल की घटनाएँ

- 2024 के नवम्बर में सीमा से जुड़े सैन्य तनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता के रूप में देखी गई। इसके बाद, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री और चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेडोंग के बीच बीजिंग में मुलाकात, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच उच्चस्तरीय वार्ताएँ, दोनों देशों के सहयोग को फिर से शुरू करने की दिशा में अहम कदम साबित हुईं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

प्रमुख समझौते और पहल

इन उच्च-स्तरीय बैठकों में कई पहलुओं पर सहमति बनी, जिनमें विश्वास को फिर से स्थापित करने और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए समझौतों की सूची शामिल है:

- **कैलाश मंसरोवर यात्रा का पुनः** प्रारंभ: 2025 की गर्मी में शुरू होने वाली यह धार्मिक यात्रा भारतीय श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

प्रमुख समझौते और पहल

- **प्रत्यक्ष उड़ानें और वीज़ा सेवाएँ:** दोनों देशों ने प्रमुख शहरों के बीच हवाई संपर्क बहाल करने और मीडिया, थिंक टैंकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए वीज़ा सुविधाएँ फिर से शुरू करने का संकल्प लिया।
- **जलवायु और जल प्रबंधन के संदर्भ में डेटा साझा करना:** भारत और चीन ने सीमा पार नदियों के जलवायु और जल प्रबंधन के बारे में बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण जल प्रबंधन मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में अहम कदम होगा।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- 2023 में व्यापार का रिकॉर्ड स्तर $125 बिलियन तक पहुँचने के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कुछ समस्याएँ बनी रहती हैं। भारत ने चीन द्वारा फार्मास्युटिकल और उच्च तकनीकी उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंधों पर चिंता जताई, जबकि चीन ने भारत में चीनी कंपनियों के लिए निवेश नीतियों और नियमों पर आपत्ति जताई।
- इस संदर्भ में दोनों देशों ने दीर्घकालिक नीतिगत पारदर्शिता और भविष्यवाणी की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि व्यापारिक संबंधों को संतुलित और समृद्ध बनाया जा सके।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

लोग-से-लोग संपर्क को बढ़ावा देना

- 2025 में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर, सांस्कृतिक आयोजनों, मीडिया आदान-प्रदान और शैक्षिक सहयोग की योजना बनाई गई है। इन पहलों का उद्देश्य दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी विश्वास को बहाल करना और गहरी समझ को प्रोत्साहित करना है।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ

हालाँकि ये समझौते सकारात्मक कदम हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- सीमा मुद्दे: LAC विवाद और उसकी पूर्ण निराकरण प्रक्रिया पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है, जो संबंधों में तनाव का कारण बना हुआ है।
- रणनीतिक अविश्वास: ऐतिहासिक तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भिन्न भिन्न भू-राजनीतिक हितों के कारण आपसी संदेह बना रहता है।
- आर्थिक अवरोध: व्यापार घाटे और संरक्षणवादी नीतियाँ समग्र आर्थिक सहयोग को सीमित करती हैं।

आगे का रास्ता: स्थिर साझेदारी का निर्माण

- चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए "आपसी संदेह और परायापन को कम करने" पर जोर दिया। भारतीय अधिकारियों ने भी दीर्घकालिक सहयोग के लिए आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और साझी रुचियों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

  प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

आगे का रास्ता: स्थिर साझेदारी का निर्माण

- समुद्र सहयोग: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- प्रौद्योगिकी और नवाचार: नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
- सांस्कृतिक कूटनीति: साझा धरोहर का उपयोग आपसी अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए करना।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

कैलाश पर्वत और मंसरोवर यात्रा

- कैलाश पर्वत, जिसे 'पवित्र पर्वत' के रूप में भी जाना जाता है, तिब्बत के एक प्रमुख स्थल पर स्थित है और यह हिन्दू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। कैलाश पर्वत के शिखर के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु मंसरोवर झील की यात्रा करते हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

Result Mitra

कैलाश पर्वत और मंसरोवर यात्रा

- मंसरोवर यात्रा, जो भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक कड़ी है, का पुनः प्रारंभ 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह यात्रा भारतीय भक्तों को कैलाश पर्वत की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो एक लंबे समय तक बंद थी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

निष्कर्ष

- भारत और चीन के बीच वार्ताओं का पुनः प्रारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दोनों देशों के जटिल संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
- हालांकि कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यापारिक पारदर्शिता और पर्यावरणीय सहयोग पर हुए समझौते दोनों देशों की लंबी अवधि तक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन की दखलंदाजी

निष्कर्ष

- यह पुनर्निर्माण और संवाद दोनों देशों के लिए एक अधिक समृद्ध और सामूहिक भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

भारत और चीन के बीच हाल की कूटनीतिक वार्ता के परिणामस्वरूप किस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण सहमति बनी है?

(A) जलवायु परिवर्तन पर सहयोग

(B) कैलाश मंसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ

(C) सीमा विवाद का समाधान

(D) आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान

Result Mitra

प्रमुख व्यक्तित्व - लाला लाजपत राय

UPSC Syllabus Relavance :

- प्रारंभिक परीक्षा: लाला लाजपत राय के जीवन और उनके योगदान से संबंधित
- मुख्य परीक्षा, GS Paper 1 (इतिहास): लाला लाजपत राय के योगदान पर आधारित - उनके सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संग्राम, और राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका पर चर्चा

लाला लाजपत राय: जीवन, संघर्ष और योगदान

- लाला लाजपत राय, जिन्हें 'पंजाब केसरी' (पंजाब का शेर) के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, समाज सुधारक और लेखक थे।
- उनका जीवन भारतीय राजनीति में उल्लेखनीय योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में एक मजबूत स्थान बनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।

प्रमुख व्यक्तित्व - लाला लाजपत राय

Result Mitra

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुडिके गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी कॉलेज, लाहौर से प्राप्त की, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की।
- उनके शिक्षा जीवन के दौरान आर्य समाज के साथ जुड़ाव ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में गहरा प्रभाव डाला, जिससे वह समाज में सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हुए।

प्रमुख व्यक्तित्व - लाला लाजपत राय

राजनीतिक यात्रा

- लाला लाजपत राय की राजनीतिक यात्रा का आरंभ भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हुआ। 1914 में, उन्होंने अपना कानूनी व्यवसाय छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में 'इंडियन होम रुल लीग' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूकता फैलाना था। 1926 में वह केंद्रीय विधानसभा के उप नेता चुने गए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव

- लाला लाजपत राय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर 'लाल-बाल-पाल' का गठन किया और भारतीय स्वराज की जोरदार वकालत की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव

- स्वदेशी आंदोलन, भारतीय वस्त्रों का बहिष्कार और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार जैसे आंदोलन उनके नेतृत्व में चलाए गए। 1920 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने असहमति के बावजूद गांधी जी के 'नॉन-कोऑपरेशन' आंदोलन का समर्थन किया।

प्रमुख व्यक्तित्व - लाला लाजपत राय

स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और बांगाल के विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 1905 में बांगाल विभाजन का विरोध करते हुए उन्होंने पंजाब में जनता को संगठित किया। उनका यह संघर्ष भारतीय समाज में जागरूकता और संघर्ष की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा।

सिमोन कमीशन विरोध और बलिदान

- लाला लाजपत राय के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ 1928 में आया जब ब्रिटिश सरकार ने सिमोन कमीशन की स्थापना की, जिसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया और 'सिमोन गो बैक' का नारा दिया।

सिमोन कमीशन विरोध और बलिदान

- 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियों से उन्हें गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

प्रमुख व्यक्तित्व - लाला लाजपत राय

सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान

- लाला लाजपत राय ने अपने जीवन में न केवल राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने महात्मा हंसराज के साथ मिलकर लाहौर में 'दयानंद एंग्लो-वेदिक कॉलेज' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ना था।
- उन्होंने जातिवाद के खिलाफ भी संघर्ष किया और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की।

साहित्यिक योगदान

- लाला लाजपत राय एक कुशल लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने 'वन्दे मातरम' और 'आर्य गजट' जैसी पत्रिकाओं की स्थापना की, जो राष्ट्रीयता के प्रचार का माध्यम बनीं।
- उनके द्वारा लिखी गई किताबों में 'यंग इंडिया', 'इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया', 'अनहैपी इंडिया' और 'द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन' प्रमुख हैं। इन कृतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता उत्पन्न की।

निष्कर्ष

- लाला लाजपत राय का जीवन और उनके योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि भारतीय समाज में सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका बलिदान और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा।

CURRENT AFFAIRS QUIZ

Result Mitra

प्रश्न: वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने मजीनी, गारीबाल्डी, शिवाजी और श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी। उन्होंने कुछ समय तक अमेरिका में भी निवास किया और केंद्रीय विधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। वह कौन थे?

(a) अरविंदो घोष

(b) बिपिन चंद्र पाल

(c) लाला लाजपत राय

(d) मोतीलाल नेहरू

Result Mitra

Thank You